समाहरणालय,मधेपुरा ।

(उत्पाद-विभाग)

सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मधेपुरा जिले के ऑन शराब दुकानें यथा देशी/मसालेदार देशी शराब की 27, विदेशी शराब की 28 तथा कम्पोजिट शराब की 52 दुकानों जिसकी सूची साथ में संलग्न हैं चालू वित्तीय वर्ष के स्थलों पर अथवा अपने निर्धारित क्षेत्रों में बिहार उत्पाद अधिनियम-1915 के अंतर्गत बनाये गये नियम-47 की शर्तों के अनुरूप खुलने हेतु प्रस्तावित हैं के संबन्ध में अगर कोई आपत्ति हो तो उसे लिखित रूप में दिनांक 23-11-2015 तक समाहर्ता,मधेपुरा के कार्यालय में अथवा अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के कार्यालय में कार्यावधि तक जमा कर सकते हैं ।

(समाहर्ता, मधेपुरा के आदेश से)

अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा ।

ज्ञापांक- 1428 /उ0, मधेपुरा, दिनांक- 07/11/2015

प्रतिलिपि :- निरीक्षक उत्पाद / सभी अवर निरीक्षक उत्पाद मधेपुरा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित साथ ही सभी अवर निरीक्षकों निदेशित किया जाता है कि वे अपने-अपने अंचलों में इस आशय से संबन्धित प्रचार लाउडस्पीकर से कर एवं उसका विडियोग्राफी कराकर सीडी के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें ।

प्रतिलिपि :- प्रधान लिपिक उत्पाद, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित साथ ही उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे इसे प्रस्तावित दुकानों की सूची के साथ समाहर्ता, मधेपुरा एवं अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के कार्यालय सूचना-पट पर आम लोगों की जानकारी हेतु चिपका दें ।

प्रतिलिपि:- प्रबन्धक, देशी/ विदेशी शराब बी0एस0बी0सी0एल0 गोदाम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेब साईट पर ऑफ लोड करने हेतु प्रेषित ।

07/11/15

अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा ।